कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/मोनिटरिंग/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2019 दिनांक : 07.04.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)–माध्यमिक ।

विषय :– बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिका वितरण एवं मुल्यांकन के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक : प.3(7) शिक्षा–6/2015 जयपुर दिनांक : 19.02.2019 एवं निदेशक महोदय द्वारा जारी अ.शा. समसंख्यक पत्रांक : 117 दिनांक : 02.04.2019 के क्रम में।

संदभ :– राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–9) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक : प. 20(2)गृह–9/12 पार्ट, जयपुर दिनांक : 07.03.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि बोर्ड परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु वितरण एवं मूल्यांकन भी परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता की श्रेणी में आता है। इस क्रम में प्रासंगिक अ.शा.पत्र दिनांक : 02.04.2019 द्वारा आपको निर्देशित भी किया गया था, फिर भी यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न जिलों में उत्तर पुस्तिका के समय पर वितरण की सूचना निदेशालय में गठित नियंत्रण कक्ष एवं बोर्ड को नहीं भिजवाई जा रहीं है। यद्यपि कतिपय जिलों द्वारा वितरण कार्य समय पर पूर्ण भी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि :–

1 प्रति दिवस कम से कम एक बार आप स्वयं बोर्ड संग्रहण केन्द्र एवं केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र का अवलोकन करें अथवा प्रगति की समीक्षा उपरान्त यथोचित प्रगति हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रारूप में सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

2 उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्रों हेतु नॉडल अधिकारी के रूप में आपके कार्यालय के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को बोर्ड द्वारा उत्तरदायित्व दिया गया है। अतः उनका न केवल मुख्यालय पर रहना अपेक्षित है, वरन प्रति दिवस उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण एवं मूल्यांकन केन्द्र पर जांच कार्य की प्रगति हेतु सम्बलन एवं प्रबोधन भी आवश्यक है।

3 संग्रहण केन्द्र पर उत्तर पुस्तिका पहुंचने की तिथि को ही सम्बन्धित परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल संग्रहण केन्द्र से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावे। मुख्यालय से बाहर पदस्थापित परीक्षक, अधिक से अधिक आगामी दिवस को अपना सम्बन्धित उत्तर पुस्तिका बण्डल प्राप्त कर लें। इस क्रम में सम्बन्धित संस्था प्रधान अवकाश दिवस की प्रतीक्षा न कर शीघ्रताशीघ्र परीक्षक को इस कार्य हेतु अनुमति दिया जाना सुनिश्चित करवाएं।

4 यह सुनिश्चित करावें कि उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्रों पर नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं बोर्ड कार्यालय द्वारा लगाए गए कार्मिक, निरन्तर परीक्षकों के सम्पर्क में रहे , जिन परीक्षकों के द्वारा आवंटित उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त नहीं की गई है अथवा नियत समय के उपरान्त भी जांच कार्य कर आवंटित बण्डल जमा नहीं करवाए गए हैं। अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा सम्बन्धित जिशिअ को सूचित करने पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावें।

5 विशेष परिस्थितियों में परीक्षक को जांच कार्य से मुक्त करने का दायित्व केवल जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक को ही है। ऐसे प्रकरणों में गुण – दोष के आधार पर गहनता से परीक्षण उपरान्त ही जिशिअ स्तर पर ही निर्णय लिया जावे। स्वास्थ्य कारणों से मुक्त करने के प्रार्थना पर यदि उचित समझा जाए तो प्रकरण मेडिकल बोर्ड को भी प्रेषित किया जा सकता है।

6 उत्तर पुस्तिका वितरण के जिन मामलों में परीक्षक द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवंटित उत्तर पुस्तिका बण्डल प्राप्त करने में सात दिवस से अधिक समय का विलम्ब किया जाता है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी को तत्काल प्रेषित किए जावें।

7 परीक्षा परिणाम तैयार करने में अनिवार्य विषयों (हिन्दी/अंग्रेजी) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । अतः प्राथमिकता के साथ कक्षा – 12 की विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त हिन्दी अनिवार्य एवं अंग्रेजी अनिवार्य की उत्तर पुस्तिकाओं का जांच कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करवावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु
1 सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Scanned by CamScanner